

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, 30 प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, 30 प्र०।
- 3- निदेशक, पंचायतीराज 30 प्र० लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, 30 प्र०।
- 5- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, 30 प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: अक्टूबर, 2016

विषय:- आई०जी०आर०एस० जन सुनवाई पर आम जनता से सीधे आन-लाईन/ मुख्य कार्यालय से प्राप्त आख्या/अन्तरित/अन्य सन्दर्भों/मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभागाध्यक्ष को सीधे प्रेषित सन्दर्भ/ भारत सरकार (पी०जी० पोर्टल) सन्दर्भ तथा तहसील दिवस पर विभाग से संबंधित सन्दर्भों पर त्वरित कार्यवाही/ निस्तारण/आवेदक को सीधे अवगत कराने तथा वेबसाइट पर केवल अन्तिम आख्या अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके स्तर पर मुख्यमंत्री आख्या/अन्तरित 1013 सन्दर्भ, आख्या श्रेणी के 107 एवं दिनांक 20.02.2016 के पूर्व के 244 सन्दर्भ/मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभागाध्यक्ष को सीधे प्रेषित 149 सन्दर्भ/आम जनता से सीधे आनलाईन 1378 सन्दर्भ/भारत सरकार (पी०जी० पोर्टल) 509 सन्दर्भ तथा तहसील दिवस पर प्राप्त 462 सन्दर्भों पर कार्यवाही न करने के कारण निलम्बित हैं। समयान्तर्गत सन्दर्भों का निस्तारण न होना, आई०जी०आर०एस० प्रणाली के प्रति अत्यन्त लापरवाही परिलक्षित होता है।

अपने-अपने स्तर पर लम्बित सन्दर्भों के निस्तारण के लिए एक अभियान चलाकर, आवेदकों के आवेदन पत्र पर समुचित कार्यवाही करके लिये गये निर्णय के बिन्दु को आई०जी०आर०एस० वेबसाइट पर अन्तिम आख्या तथा आवेदक को लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए आवेदक को सूचित किए गए पत्र की छायाप्रति अपलोड किया जाय।

भ्रष्टाचार से संबंधित आवेदन पत्रों पर कार्यवाही में यदि कोई गम्भीर प्रकृति की अनियमितता प्रकाश में आती है तो कार्यवाही के बिन्दु पर अभिमत/आख्या स्पष्ट संस्तुति के साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए। उपरोक्त लम्बित सन्दर्भों के निस्तारण की सूचना/अन्तिम आख्या अनिवार्य रूप से एक पक्ष में आई0जी0आर0एस0 वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उक्त लम्बित सन्दर्भों के निस्तारण में प्राथमिकता अपेक्षित है।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- आई0जी0आर0एस0 प्रणाली को प्रभावी करने एवं लम्बित सन्दर्भों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र संख्या-2254/चैतीस-लो0शि0-5/2016 दिनांक 14.10.2016 के सन्दर्भ में।
- 3- निजी सचिव, विशेष सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
- 4- निजी सचिव, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
- 5- पंचायतीराज अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।